



THE
JHARKHAND GAZETTE
EXTRAORDINARY
PUBLISHED BY AUTHORITY

No. 559

27 shrawan, 1938 (S)

Ranchi, Friday, 18th AUGUST, 2017

COMMERCIAL TAXES DEPARTMENT

NOTIFICATION

18th AUGUST, 2017

S.O. -63 Dated 18th AUGUST, 2017--In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 9 of the Jharkhand Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017), the State Government, on the recommendations of the Council, hereby makes the following further amendment in the notification of the Commercial Taxes Department, Jharkhand, No.1/2017-State Tax (Rate), dated the 29th June, 2017 published in the Jharkhand Gazette, Extraordinary *vide* S.O. 31 dated the 29th June, 2017, namely:-

2. In the said notification, in Schedule III – 9%, after serial number 452 and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be inserted, namely:-

(1)	(2)	(3)
“452A	4011 70 00	Tyre for tractors
452B	4013 90 49	Tube for tractor tyres
452C	8408 20 20	Agricultural Diesel Engine of cylinder capacity exceeding 250 cc for Tractor

452D	8413 81 90	Hydraulic Pumps for Tractors
452E	8708 10 10	Bumpers and parts thereof for tractors
452F	8708 30 00	Brakes assembly and its parts thereof for tractors
452G	8708 40 00	Gear boxes and parts thereof for tractors
452H	8708 50 00	Transaxles and its parts thereof for tractors
452I	8708 70 00	Road wheels and parts and accessories thereof for tractors
452J	8708 91 00	Radiator assembly for tractors and parts thereof.
452K	8708 91 00	(i) Cooling system for tractor engine and parts thereof (ii) Silencer assembly for tractors and parts thereof
452L	8708 93 00	Clutch assembly and its parts thereof for tractors
452M	8708 94 00	Steering wheels and its parts thereof for tractor
452N	8708 99 00	Hydraulic and its parts thereof for tractors
452O	8708 99 00	Fender, Hood, wrapper, Grill, Side Panel, Extension Plates, Fuel Tank and parts thereof for tractors”.

3. This notification shall come into force with effect from the date of its publication in the Official Gazette.

(File No.Va Kar/GST/4/2017)

By the Order of the Governor of Jharkhand,

Baijnath Ram,

Joint Secretary to the Government

Note: The principal notification No.1/2017-State Tax (Rate) dated 29th June, 2017 was published in the Jharkhand Gazette, Extraordinary, *vide* S.O. 31 dated the 29th June, 2017 and last amended *vide* notification No 18/2017- State Tax (Rate) dated the 13th July, 2017 published *vide* S.O. 55 dated the 13th July, 2017.

वाणिज्य-कर विभाग

अधिसूचना

18 अगस्त, 2017

एस० ओ०-63 दिनांक 18 अगस्त, 2017-- राज्य सरकार, झारखंड माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 कर 12) की धारा 9 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद की सिफारिशों पर झारखण्ड के राजपत्र, असाधारण द्वारा एस० ओ० 31 तारीख 29 जून, 2017 द्वारा प्रकाशित वाणिज्य कर विभाग, झारखण्ड की अधिसूचना सं० 1/2017- राज्य कर (दर) 29 जून, 2017 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात्:-

2. उक्त अधिसूचना में, अनुसूची III -9 प्रतिशत में क्रम संख्या 452 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात निम्नलिखित क्रम सं० और प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात्:-

(1)	(2)	(3)
452क	4011 70 00	ट्रैक्टर के लिए टायर
452ख	4013 90 49	ट्रैक्टर के लिए ट्यूब
452ग	8408 20 20	ट्रैक्टर के लिए एग्रीकल्चरल डीजल इंजन सिलिंडर जिनकी क्षमता 250 सीसी हो
452घ	8313 81 90	ट्रैक्टर के लिए हाइड्रोलिक पम्प
452ङ	8708 10 10	बम्पर और ट्रैक्टर के कलपुर्जे
452च	8708 30 00	ब्रेक एसेम्बल और ट्रैक्टर के कलपुर्जे
452छ	8708 40 00	गियर बाक्स और ट्रैक्टर के कलपुर्जे
452ज	8708 50 00	ट्रांसएक्सल और ट्रैक्टर के कलपुर्जे
452झ	8708 70 00	रोड व्हील्स और ट्रैक्टर के कलपुर्जे और सहायक सामग्री / एक्सेसरीज
452ञ	8708 91 00	रेडिएटर एसेम्बल ट्रैक्टर के कलपुर्जे
452ट	8708 91 00	(i) ट्रैक्टर के लिए कूलिंग सिस्टम इंजन और कलपुर्जे (ii) ट्रैक्टर के लिए साइलेंसर और कलपुर्जे
452ठ	8708 93 00	क्लच एसेम्बल और ट्रैक्टर के कलपुर्जे
452ड	8708 94 00	स्ट्रीलिंग व्हील्स और ट्रैक्टर के कलपुर्जे

452ढ	8708 99 00	हायड्रोलिक और उसके ट्रैक्टर के कलपुर्जे
452ण	8708 99 00	फेंडर, हुड, रेपर, ग्रिल, साइड पैनल, एक्सटेंशन प्लेटस, ईंधन टैंक और ट्रैक्टर के कलपुर्जे ”

3. यह अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रभावी होगी ।

[सं.सं. वा०कर/जी०एस०टी०/04/2017]

झारखंड राज्यपाल के आदेश से,

बैजनाथ राम,

सरकार के संयुक्त सचिव ।

टिप्पण: मूल अधिसूचना सं० 1/2017- राज्य कर (दर), तारीख 29 जून, 2017, एस० ओ० 31 तारीख 29 जून, 2017 झारखण्ड के राजपत्र, असाधारण में प्रकाशित की गई थी और एस० ओ० 55 तारीख 13 जुलाई, 2017 उसमें अंतिम संशोधन अधिसूचना सं. 18/2017- राज्य कर (दर), तारीख 13 जुलाई, 2017 के द्वारा किया गया था ।
